बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :–6 / प्राक्क01–1121 / 2023-1335 पटना–15, दिनांक:–4/08/25

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषयः–कैमूर जिलान्तर्गत भू–जल की अनुपलब्धता से प्रभावित अधौरा प्रखंड अंतर्गत 7 पंचायतों के 41 वार्डों में पेयजलापूर्ति की विद्यमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु सोन नदी के तट पर नलकूप के माध्यम से भू–जल के उपयोग से 7.85 MLD क्षमता के बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा सात वर्षों तक रख–रखाव एवं परिचालन हेतु 293.944 करोड़ रूपये (दो अरब तिरानवे करोड़ चौरानवे लाख चालीस हजार रूपये) मात्र की राशि पर योजना की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश– राज्य योजना अंतर्गत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भभुआ के तहत भू–जल की अनुपलब्धता से प्रभावित अधौरा प्रखंड अंतर्गत 7 पंचायतों के 41 वार्डों में पेयजलापूर्ति की विद्यमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु सोन नदी के तट पर नलकूप के माध्यम से भू–जल के उपयोग से 7.85 MLD क्षमता के बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना के निर्माण तथा सात वर्षों तक रख–रखाव एवं परिचालन हेतु 293.944 करोड़ रूपये (दो अरब तिरानवे करोड़ चौरानवे लाख चालीस हजार रूपये) मात्र की राशि पर योजना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की जाती है।

2. कैमूर जिलान्तर्गत भू–जल की अनुपलब्धता से प्रभावित अधौरा प्रखंड के 7 पंचायत यथा–सड़की, सरोदाग, आथन, अधौरा, बड़वानकला, चैनपुर एवं डुमरावां के 41 वार्डों में अधिष्ठापित नलकूप का डिस्चार्ज अत्यंत कम है एवं भविष्य में इसका डिस्चार्ज और भी कम होने की संभावना है। अधौरा प्रखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ जल स्त्रोत सीमित है। इन पंचायतों में विद्युत अनुपलब्ध रहने के कारण 'हर घर नल का जल' अंतर्गत सौर ऊर्जा चालित जलापूर्ति योजना आधिष्ठापित है जिसके कारण सौर ऊर्जा अनुपलब्ध रहने पर जलापूर्ति में समस्या होती है।

उपर्युक्त कारण से "**हर घर नल का जल**" योजना अंतर्गत निर्मित वार्ड आधारित जलापूर्ति योजना (WLS) से पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति में कठिनाई हो रही है।

इन वार्डों में पेयजलापूर्ति की सतत् एवं दीर्घकालीन व्यवस्था के लिए पेयजलापूर्ति की विद्यमान व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हेतु सोन नदी के तट पर नलकूप के माध्यम से भू–जल के उपयोग से 7.85 MLD क्षमता के बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना का निर्माण किया जाना है।

3. इस योजना के अंतर्गत नौ अदद उच्च प्रवाही नलकूप, मास्टर/जोनल इलिवेटेड सर्विस रिजरवायर, क्लीयर वाटर सम्प, क्लीयर वाटर अंडरग्राउंड रिजरवायर, पम्पिंग सेट का अधिष्ठापन, पाईप लाईन बिछाने का कार्य, विद्युत संयोजन कार्य एवं ट्रासफार्मर अधिष्ठापन, अप्रोच रोड निर्माण आदि का कार्य मुख्यतः किया जाना है।

योजना के पूर्ण एवं चालू होने के उपरान्त 6 माह की ट्रायल रन अवधि समाप्त होने के पश्चात् योजना का संचालन एवं रख–रखाव का कार्य अगले 7 (सात) वर्षों तक क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा ही कराया जाना है, जिसके व्यय हेतु राशि का प्रावधान योजना की कुल प्राक्कलित राशि 293.944 करोड़ रूपये (दो अरब तिरानवे करोड़ चौरानवे लाख चालीस हजार रूपये) मात्र में शामिल है। इस योजना का तकनीकी अनुमोदन मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रदत्त है। इस योजना का निर्माण कार्य 2 वर्षों में पूरा किया जाएगा।

4. इस योजना पर होने वाले व्यय का वहन बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष–4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति– लघु शीर्ष–102 ग्रामीण जल पूर्ति– उपशीर्ष–0133– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड–36–4215–01–102–0133, मुख्य शीर्ष–4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति–लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–- उपशीर्ष–0115– मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड– 36–4215–01–789–0115, मुख्य शीर्ष–4215–जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति– लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना–उपशीर्ष–0120–मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) विपत्र कोड–36–4215–01–796–0120 अंतर्गत भारितव्य होगा तथा (ii) योजना के परिचालन एवं रख–रखाव पर होने वाला व्यय, बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई –उपमुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति– लघु शीर्ष–102– ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम–उपशीर्ष –0107–ग्रामीण जलापूर्ति योजना का परिचालन एवं रखरखाव–सात निश्चय–2 विपत्र कोड–36–2215–01–102–0107 अंतर्गत भारितव्य होगा।

5. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भभुआ होगें। योजना पर होने वाला व्यय स्वीकृत राशि तक सीमित रहेगा। राशि की निकासी कैमूर (भभुआ) कोषागार से की जायेगी/बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत संधारित खाते के माध्यम से राशि की विमुक्ति कर योजना के कार्यान्वयन पर व्यय किया जाएगा।

6. संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता योजना का कार्यान्वयन अनुमोदित प्राक्कलन के विभिन्न मदों की विशिष्टियों के अनुरूप एवं निर्धारित समय–सीमा के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करायेंगे।

7. इस योजना के अनुश्रवण की जवाबदेही संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं संबंधित मुख्य अभियंता की होगी जो योजना के नियमित कार्यान्वयन के क्रम में कम–से–कम प्रत्येक माह में क्रमशः दो बार एवं एक बार अनुश्रवण जरूर करेंगे एवं अपना निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता को जरूर भेजेंगे तथा निराकरण भी सुनिश्चित करायेंगे।

8. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समायावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाए।

9. इस राशि से स्थापना मद पर कोई व्यय नही किया जायेगा और न ही कोई नया पद सृजित किया जायेगा।

10. इसके नियंत्री पदाधिकारी अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

11. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर राशि की निंकासी की जायेगी।

12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम4–53/2007/12888/वि0, दिनांक–03.12.2024 में निहित प्रावधानों के आलोक में मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति प्राप्त है।

13. बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

14. योजना का क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।

15. यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गई है, अन्य मद में नहीं।

16. योजना के क्रियान्वयन के पूर्व सक्षम प्राधिकार से योजना में प्रावधानित सभी अवयवों का अद्यतन अनुसूचित दर पर तकनीकी स्वीकृति के उपरांत निविदा आमंत्रण की कार्रवाई की जाएगी।

17. वर्ष 2025–26 के वार्षिक योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध में इसके लिए प्रावधान है।

18. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

19. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त है।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)

ज्ञापांक–6 / प्राक्क01–1121 / 2023–1335 दिनांकः–4/08/25

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / कल्याण विभाग, बिहार / जिला पदाधिकारी, कैमूर / कोषागार पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय / कार्य प्रबंधन) / संयुक्त निदेशक, जल जीवन मिशन, पटना / प्रशासनिक पदाधिकारी, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, बिहार / मुख्य अभियन्ता (उत्तरी / दक्षिणी बिहार) / मुख्य अभियन्ता (रूपांकण) / बजट पदाधिकारी / बिशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य रूपांकण एवं योजना अंचल संख्या–2, पटना / कार्यपालक अभियन्ता (मो0–02)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य परियोजना प्रमंडल सं0–2 / कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी–6 / आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना / अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, सासाराम / कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

4/8/25

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय)